<u>समक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ</u>

स्थान–रामनगर जिला नैनीताल दिनांक–14.03.2026

पीठ संख्या–13

वादी संख्या/प्रार्थना पत्र संख्या– फौजदारी परिवाद संख्या–781/2022

(परिवाद पत्र/वादपत्र के अनुसार)

परिवादी/याचिकाकर्ता/वादी/शिकायतकर्ता– राजेन्द्र टम्टा

अभियुक्त/प्रतिवादी/प्रत्युउत्तरदाता– गजेन्द्र सिंह गहलोत उर्फ मौन्टू

वाद की प्रकृति– धारा 138 एन0 आई0 एक्ट

उपस्थित :–

अध्यक्ष, राष्टीय लोक अदालत पीठ–मीनाक्षी दुबे।

सदस्य, राष्टीय लोक अदालत पीठ– श्री गणेश कुमार

<u>पंचाट/आदेश</u>

प्रार्थी/परिवादी द्वारा उपरोक्त मामला पक्षकारों के मध्य सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किये जाने हेतु इस राष्टीय लोक अदालत पीठ के समक्ष सदर्भित/प्रस्तुत किया गया। समझौते की शर्तों के अन्तर्गत निम्नलिखित पंचाट/आदेश पारित किया गया है :–

2. प्रार्थी/परिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 257 द0प्र0सं0 पेश कर कथन किया गया कि उपरोक्त वाद में परिवादी एवं विपक्षी का आपसी राजीनामा हो गया है तथा परिवादी राजीनामे के आधार पर उपरोक्त वाद का बल देना नहीं चाहता है तथा उपरोक्त वाद का निस्तारण कराना चाहता है। अतः परिवादी द्वारा वाद का निस्तारण करने की प्रार्थना की गयी।

3. प्रार्थी/परिवादी राजेन्द्र टम्टा न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए है तथा प्रार्थी/परिवादी की पहचान उसके अधिवक्ता श्री दिप्ती खुल्बे द्वारा न्यायालय के समक्ष तस्दीक की गयी। अभियुक्त गजेन्द्र सिंह गहलोत उर्फ मौन्टू की पहचान उनके विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष कुमार सिंघल द्वारा सुनिश्चित की गयी। सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

4. प्रार्थी/परिवादी द्वारा पीठ के समक्ष मामले को शमन के आधार पर वापस लेने की पुष्टि की गयी। प्रार्थी/परिवादी द्वारा बताया गया कि हस्तगत प्रार्थना पत्र इसके द्वारा स्वेच्छा से, बिना किसी डर, दबाव के प्रस्तुत किया गया है।

<u>आदेश/पंचाट</u>

5. यहाँ स्पष्ट है कि उपरोक्त वर्णित परिवाद सं0 781/2022 राजेन्द्र टम्टा बनाम गजेन्द्र सिंह गहलोत उर्फ मौन्टू धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम से सम्बन्धित है, **<u>जोकि धारा 147 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत शमनीय प्रकृति का मामला है, जिसे</u>**

प्रार्थी/परिवादी, विपक्षी/अभियुक्त के विरूद्ध शमन करने के लिये विधितः सशक्त है। परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध शमन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 257 द0प्र0सं0 सहपठित धारा 147 परक्राम्य लिखत अधिनियम में दिया गया है।

6. इस सम्बन्ध में कुछ विधिक व्यवस्थाओं का अवलोकन समीचीन है, जो इस प्रकार है :–

(1) Mukesh D. Ambani V. State of Bihar, 2007 (3) Pat LJR 389: 2007 CrLJ 1565 (Pat) में कहा गया है कि, "Absence of Accused- If the Complainant has filed for compounding of the offenc and the provision is there under section 320 (2), CrPC. He shouldbe permited to do so. It is not necessary for the accusd persons to appear in the case, since it is the complainant who has filed for compounding of the offence."

(2) Dayawati Vs. Yogesh Kumar Gosain on 17 October, 2017 esa ekuuh; दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि, "Upon receiving a request from the complainant, that on account of the compromise vide the settlement agreement, it is withdrawing himself from prosecution, the matter has to be compound. Such prayer of the complainant has to be accepted in keeping
with the scheme of section 147 of the NI Act. (Ref..(2005) CriLJ 431, Rameshbhai somabhai Patel V. Dineshbhai Achalanand Rathi at this point, the trial court should discharge/acquit the accused person, depending on the stage of the case. This procedure should be followed even where the settlement terms require inplementation of the terms and payment over a
period of time."

(3) Ramesh bhai Somabhai Patel Vs Dineshbhai Achalanand Rathi on 28 January, 2004 II (2005) BC 220, 2005 CriLJ 431 में कहा गया है कि, "The victim of the offence can compound the offence notwithstanding anything contained I.P.C. 1973. In other words, the parties can settl alleged criminal wrong and conclude their dispute under adjudication and request the Court where it is pending to pass appropriate order viz. Order of acquittal. Undisputedly, the petitioner accused has approached this Court for scrutiny of the legality and validity of the order of conviction and sentence and, therefore, the original complainant can positively appear before this Court and say that he has compounded the offence with the accused and now he has not to pursue the remedy, that he is not interested in proceding with the complaint and to see that the accused is sent to the prison. The effect of thesame would be practically or

say similar to a withdrawal from the prosecution with or without any qualification."

(4) इसी तरह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी O.P Dholakia V. State of Haryana And Another Supreme Court of India Nov 15, 1999.

7. अतः उपरोक्त समस्त परिचर्चा के दृष्टिगत, चूंकि मामला शमनीय प्रकृति का है तथा प्रार्थी/परिवादी मामले में शमन करने हेतु विधितः सशक्त है। अतः प्रार्थी/परिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 257 द0प्र0सं0 के कथनानुसार **परिवादी व अभियुक्त के मध्य राजीनामा हो गया है तथा इस परिवादी को चैक में वर्णित पूर्ण धनराशि का भुगतान हो गया है। जिस कारण यह अपने परिवाद पत्र का वापस लेना चाहता है तथा आगे नहीं चलाना चाहता है,** के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध मामले का शमन किया जाता है। जिसका प्रभाव अभियुक्त गजेन्द्र सिंह गहलोत उर्फ मौन्टू की दोषमुक्ति होगा।

8. उक्त आदेश/पंचाट प्रार्थी/परिवादी एवं उसके अधिवक्ता को पढ़कर सुनाया गया एवं इसके प्रभाव के सम्बन्ध में बताया गया। जिसके सन्दर्भ में उनके द्वारा अपनी सहमति दी गयी। तद्नुसार यह आदेश/पंचाट पारित किया जाता है।

9. राष्ट्रीय लोक अदालत को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त से माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दामोदर एस प्रभू बनाम सईद बाबालाल (2010) 5 एस0एस0सी0 663 में दिये गये निर्देषानुसार विवादित चैक की धनराशि में से 10 प्रतिशत धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए वसूल नहीं की जा रही है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

पत्रावली संबंधित न्यायालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु मय आदेश/पंचाट आदि वापस प्रेषित हो।

सदस्य के हस्ताक्षर

श्री गणेश कुमार
एडवोकेट,

हस्ताक्षर अध्यक्ष

(मीनाक्षी दुबे)
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्टेंट,
रामनगर, जिला नैनीताल।